जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751-244228
(कार्यालय)
ई-मेल : E-mail :
jiwajidcdc@gmail.com
Website
:http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/10329 दिनांक : 20.01.2024

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय/अनुदानित/अल्पसंख्यक महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषयः- उल्लास-नव साक्षरता कार्यक्रम में पंजीयन कर सम्मिलित होने के संबंध में।

संदर्भः- कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन का पत्र क्रमांक 50/442/आउशि/श-5'अ'/2023 दिनांक 15.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत संचालित ''नव भारत साक्षरता कार्यक्रम'' का अयोजन किया जाना है।

उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र एवं छात्राओं को कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने एवं कार्यक्रम से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी को एकजाई कर यथाशीघ्र **https://dotook.in** लिंक पर पंजीयन किया जाना है।

अतः समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या/संचालकों को सूचित किया जाता है कि **https://dotook.in** लिंक पर कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रदान किये गये लिंक पर आवश्यक रूप से पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चम्बल संभाग, कस्तूरबा चौराहा कम्पू, लश्कर ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री संजय बरथरिया, प्रभारी, आई. टी. सेल. की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त पत्र को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

डायरेक्टर
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 50/442/आउशि/शा–5'अ'/2023 भोपाल, दिनांक 15/01/2024

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय– उल्लास –नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संचालन हेतु दिनांक 18.01.2024 की बैठक के संबंध में।

संदर्भ– (1) संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल का पत्र क्र./राशिके/साक्षरता/2024/151,भोपाल, दिनांक 09.01.2024
(2) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1048/442/आउशि/शा–5'अ'/2023,भोपाल, दिनांक 23.08.2023

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत होना चाहे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत संचालित "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" के सफल संचालन हेतु दिनांक 18.01.2024 को प्रातः 11.00 बजे राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल में बैठक आयोजित की गई है।

संदर्भित पत्र (2) का अवलोकन करने का कष्ट करें । उक्त पत्र के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत संचालित "नव भारत साक्षरता" अंतर्गत कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश एवं प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश को प्रेषित कर उक्त कार्य के सुचारू संचालन हेतु संस्था से एक प्राध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने एवं संबंधित अधिकारी द्वारा जिला, विकासखण्ड एवं संकुल स्तर के साक्षरता सह समन्वयकों से समय–समय पर समन्वय कर कार्यक्रम को गति प्रदान कर समय–सीमा में लक्ष्य प्राप्त किये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा को अवगत कराने एवं संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा को विभाग की एकजाई जानकारी एकत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश से अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत संचालित "नव भारत साक्षरता" कार्यक्रम से संबंधित एकजाई जानकारी दिनांक दिनांक 15.01.2024 तक अकादमिक–शाखा के ई–मेल academy-he@mp.gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

पृ. क्रमांक 51/442 /आउशि/शा–5'अ'/2023 भोपाल, दिनांक 15/01/2024

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल,मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. संचालक,राज्य शिक्षा केन्द्र,पुस्तक भवन,बी–विंग, अरेरा हिल्स,भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।

..........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल